संख्या–3210 / सत्तर–6–2008–2(117) / 2008टीसी

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 02 दिसम्बर, 2008

विषयः–महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1599 / सम्बद्धता / 2008, दिनांक 09.08.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल दिग्विजय नाथ एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय (बी0एड0 पाठ्यक्रम), गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत एम0एड0 पाठ्यक्रम में 25 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक / विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।
3. शासनादेश संख्या–5125 / 70–2–2005–2(166) / 2005, दिनांक 21.10.2005 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

7. आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता का प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व पाठ्यक्रम के नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस संबंध में शासन को सम्यक् आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–3210(1)/सत्तर–6–2008, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2.क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3.क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए–46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
4.प्रबन्धक, दिग्विजय नाथ एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय (बी0एड0 पाठ्यक्रम), गोरखपुर।
5.निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
6.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।